HAMIRPUR POLICE

:: थाना राठ) गुम होने की झूठी घटना का किया खुलासा::

अवगत कराना हैं कि दिनांक 25/07/2020 आवेदिका श्रीमती शिवरानी पत्नी स्व0 मुकुन्दा नि0 ग्राम परा थाना राठ जनपद हमीरपुर द्वारा प्रा0पत्र दिया गया कि मेरे लडके मनमोहन उम्र 52 वर्ष से विपक्षी सुनील कुमार पुत्र हरीसिंह आदि 03 लोगो से दिनांक 11/05/2020 को विवाद हुआ था। जिसके सम्बन्ध में मेरे लडके द्वारा थाने पर मु0अ0सं0 213/2020 धारा 323/504 I.P.C व 3(2)5 व 3(1) द ध SC/ST ACT का अभियोग पंजीकृत करवाया गया था कि मेरा लडका मनमोहन व मेरा नाती तेज सिंह उसी दिन से घर से गायब हो गये है। मेरे लडके मनमोहन व पौत्र तेज सिंह का पता नही चला रहा है। जिसकी जाँच उ0नि0 श्री भागीरथी पाण्डेय द्वारा किया गया तो ज्ञात हुआ कि उसका लडका मनमोहन व उसका पौत्र तेज सिंह उम्र 19 वर्ष को आवेदिका एंव आवेदिका के परिजनो की मिली भगत से जानबूझकर आवेदिका अपनी लडकी किरन देवी पत्नी राकेश कुमार नि0 सुशील नगर कस्बा व थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन के यहां रखे थी। आज दिनांक 28/09/2020 को आवेदिका के लडके मनमोहन व पौत्र तेज सिंह को आवेदिका की लडकी के लडके शुभम कुमार के साथ सुशील नगर कस्बा व थाना उरई जनपद जालौन से थाना राठ पुलिस द्वारा सकुशल बरामद किया गया तथा पूछताछ पर आवेदिका द्वारा प्रा0पत्र में लगाये गये आरोप की पुष्टि न होने पर तथा झूठी सूचना देने पर मनमोहन व तेज सिंह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 151/107/116 CrPC की कार्यवाही कर चालान मान0 न्यायालय किया गया।